उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड में ठेकेदारों के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु नियम व शर्ते

1) भवनों के निर्माण एवं विकास कार्यो हेतु विभिन्न श्रेणी में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार नियमानुसार अंकित मूल्य तक कार्य ले ने हेतु अधिकृत है:-

"ए" प्लस श्रेणी			कोई सीमा नही
"ए"	श्रेणी	रू0	5:00 करोड़ तक
"बी"	श्रेणी	रू0	2.00 करोड़ तक
"सी"	श्रेणी	रू0	50.00 लाख तक
"डी"	श्रैणी	रू0	25.00 लाख तक
"ई"	श्रेणी	रू0	10.00 लाख तक

2) रू0 5.00 करोड़ से अधिक कार्यो हेतु निगम में "ए" प्लस श्रेणी के ठेकेदारों के अतिरिक्त अपंजीकृत ठेकेदार भी निविदा डालने के लिए अधिकृत होगें परन्तु अपंजीकृत ठेकेदार के सफल निविदादाता होने की स्थिति में अनुबंध से पूर्व उपयुक्त श्रेणी में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

3) श्रेणी-ए प्लस, ए, बी एवं सी निविदाएं टू बिड सिस्टम के अर्न्तगत आमंत्रित की जायेगी।

4) निर्माण कार्यो पर संलग्न परिशिष्ट संख्या-1 के अनुसार तकनीकी स्टाफ रखना होगा।

5) निर्माण कार्यो पर संलग्न परिशिष्ट संख्या-2 के अनुसार मशीनरी की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी एवं उसकी देखभाल, खर्चा आदि स्वयं वहन करना होगा। यदि मशीनरी स्थल पर नही लाई जाती है तो मशीनरी का किराया जैसा कि निविदा प्रपत्र में विहित हो, बिल से काटा जायेगा।

6) ठेकेदारों को कार्य की अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत धनराशि अथवा जैसा भी निविदा सूचना में अंकित हो, की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 जो उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 के पक्ष में बन्धक हो, धरोहर राशि के रूप में निविदा प्रपत्रों के साथ जमा करानी होगी।

7) पुराने पंजीकृत ठेकेदारो को उनके द्वारा किये गये कार्यो का विवरण एवं वर्क इनहेण्ड का विवरण सम्बन्धित निर्माण कार्यालय से सत्यापित कराकर देना होगा।

8) यदि ठेकेदारों द्वारा किया गया कार्य उत्तम श्रेणी का है, तो पूर्व में किये गये कार्यो के मूल्य का डेढ़ गुना सम्बन्धित ठेकेदार की क्षमता मानी जायेगी।

9) पंजीकृत ठेकेदारो को उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 द्वारा निर्धारित नियमों से विपरीत आचरण करने पर जैसा कार्य की गुणवत्ता खराब कराना, फिनिंशिग ठीक न करना, विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों से अभद्र व्यवहार करना आदि पर फर्म को काली सूची में दर्ज करने, युक्ति युक्त अर्थ दंण्ड लगाने तथा निविदाओं में प्रतिभाग करने से रोक लगाने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक/ महाप्रबन्धक(परियोजना प्रबन्ध) को होगा।

10) आवेदक को 10 रू0 के नान ज्यूडीशियल स्टैंप पर इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि फर्म के किसी भी पार्टनर का निकट का रिश्तेदार (ब्लड रिलेशन) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 मे कार्यरत नही है। ब्लड रिलेशन का अर्थ पिता, माँ, भाई-बहन, चाचा-ताऊ, बेटी व पत्नी इत्यादि से है। यदि

पंजीकरण के उपरान्त इसके विपरीत तथ्य पाया जाता है तो ठेकेदार का नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा।

11) निविदा मूल्य निम्न प्रकार अथवा भविष्य में संशोधन की स्थिति में तदनुसार देय होगाः-

कार्य की अनुमानित लागत	**निविदा मूल्य**
रू0 2.00 लाख तक	रू0 200/-
रू0 2.50 लाख से रू0 5.00 लाख तक	रू0 400/-
रू0 5.00 लाख से रू0 10.00 लाख तक	रू0 500/-
रू0 10.00 लाख से रू0 50.00 लाख तक	रू0 1,000/-
रू0 50.00 लाख से रू0 1.00 करोड़ तक	रू0 1,500/-
रू0 1.00 करोड़ से रू0 2.00 करोड़ तक	रू0 2,000/-
रू0 2.00 करोड़ से रू0 5.00 करोड़ तक	रू0 3,500/-
रू0 5.00 करोड़ से अधिक	रू0 5,000/-

12) हैसियत प्रमाण पत्र, परिशिष्ट-3 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत होना अनिवार्य है।

13) आवेदक को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र परिशिष्ट-5 पर संलग्न निर्धारित प्रारूप पर एवं वर्तमान निवास स्थान का पता सत्यापित कराकर देना होगा।

14) प्रमाण पत्रों के साथ चस्पा की जाने वाली फोटो किसी राजपत्रित अधिकारी/नोटरी से प्रमाणित होनी चाहिए।

15) सभी पंजीकृत ठेकेदारों को परिचय पत्र निर्गत किये जायेगें जो उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 के किसी भी अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा मांगने पर दिखाना होगा।

16) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 से सम्बन्धित सभी कार्यवाही जैसे निविदा क्रय, अनुबंध एवं देयक आदि पर हस्ताक्षर सम्बन्धित ठेकेदार एवं उसके द्वारा अधिकृत जो कोई एक व्यक्ति ही करेगा, का शपथ पत्र देना होगा।

17) पंजीकरण शुल्क (नान रिफंडेबल) संलग्न परिशिष्ट संख्या-3 के अनुसार देय होगा। पंजीकरण दो वर्ष हेतु मान्य होगा। पंजीकरण शुल्क की धनराशि डिमांड ड्राफ्ट जो उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 के पक्ष में जारी किया गया हो, द्वारा देय होगी।

18) वांछित अभिलेख, आवेदन पत्र के साथ न जमा करने पर अथवा अन्य किसी कारणों से आवेदन पत्र निरस्त करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक/महाप्रबन्धक(परियोजना प्रबन्ध) को होगा।

19) पंजीकरण/नवीनीकरण के आवेदन पत्र को बिना कारण बताये रदद करने का अधिकार उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 रखता है।

20) पंजीकृत ठेकेदार को उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 द्वारा भविष्य में भी समय-समय पर जारी किये गये आदेश मानने होगें।

21) क्षमता निर्धारण हेतु वर्क इन हैण्ड एवं गत चार वर्षो में किये गये कार्यो के विवरण संलग्न प्रारूप में देना होगा जिसके साथ प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

22) प्रथम एवं द्वितीय निविदा आमंत्रण में कम से कम तीन निविदाओं पर विचार किया जायेगा, परन्तु तीसरी निविदा आमंत्रण पर एकल निविदा पर भी विचार किया जा सकता है।

23) जमानत राशि निर्माण/विकास कार्य के संतोषजनक पूरा होने अथवा अन्तिम भुगतान के छः माह बाद जो भी बाद में हो, अनुबंध की शर्तो के अनुरूप वापस की जायेगी।

24) ठेकेदारों द्वारा आयकर विभाग में पिछले वर्ष के आयकर रिटर्न की प्रति तथा बैलेंश शीट देना होगा।

25) (1) "ए" प्लस श्रेणी के ठेकेदारों को कम से कम चार वर्ष का लगातार भवन कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा तथा भवन निर्माण/विकास कार्य हेतु पिछले चार वर्षो में कम से कम रू0 500.00 लाख के कार्यो के संतोषजनक सम्पादन का राजकीय विभागों/राजकीय संस्थाओं/पब्लिक/प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का प्रमाण पत्र देना होगा।

(2) "ए" श्रेणी के ठेकेदारों के लिये कम से कम 4 वर्ष का लगातार भवन कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा तथा भवन निर्माण/विकास कार्यो हेतु पिछले चार वर्षो में कम से कम रू0 200.00 लाख लागत के कार्यो के संतोषजनक सम्पादन का राजकीय विभागों/राजकीय संस्थाओं/पब्लिक/प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का प्रमाण पत्र देना होगा।

(3) "बी" श्रेणी के ठेकेदारों के लिये कम से कम चार वर्ष का लगातार भवन कार्य कराने का अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा तथा भवन निर्माण/विकास कार्य हेतु पिछले तीन वर्षो में कम से कम रू0 50.00 लाख लागत के कार्यो के संतोषजनक सम्पादन का राजकीय विभागों/राजकीय संस्थाओं/पब्लिक/प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का प्रमाण पत्र देना होगा।

(4) "सी" श्रेणी के ठेकेदारों के लिये कम से कम चार वर्ष का लगातार भवन कार्य कराने का अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा तथा भवन निर्माण/विकास कार्य हेतु पिछले तीन वर्षो में कम से कम रू0 25.00 लाख लागत के कार्यो के संतोषजनक सम्पादन का राजकीय विभागों/राजकीय संस्थाओं/पब्लिक/प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का प्रमाण पत्र देना होगा।

(5) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 में पंजीकृत फर्मा का नवीनीकरण किये जाने या आगे की अवधि हेतु वैधता बढाने के लिये फर्म को गत वर्ष में किये गये भवन कार्यो निर्माण/विकास कार्यो के संतोषजनक सम्पादन का राजकीय विभागों/राजकीय संस्थाओं/पब्लिक/प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का प्रमाण पत्र देना होगा।

(6) आवेदन फार्म के साथ ही समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराई जायेगी। अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त माना जायेगा।

नोटः- उपरोक्त वर्णित राजकीय विभाग/राजकीय संस्थाओं/पब्लिक/प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र में किये गये कार्यो का संतोषजनक रूप से पूर्ण होने का उल्लेख होना चाहिए, जिसकी पुष्टि कराने के उपरान्त अभिलेखानुसार नवीनीकरण की कार्यवाही की जायेगी जो सभी श्रेणी के फर्मो पर मान्य होगी।

26) ठेकेदारों का पंजीकरण एक बार में केवल दो वर्ष के लिये किया जायेगा। पंजीकृत ठेकेदारों का नवीनीकरण दो वर्ष के लिए किया जायेगा किन्तु प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक चरित्र प्रमाण पत्र तथा हैसियत प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेख सत्यापित आवेदन के साथ देना होगा। अनुवर्ती वर्ष हेतु पंजीकृत ठेकेदारों के नवीनीकरण हेतु वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र तथा किये गये कार्यो को संतोषजनक ढ़ग से पूर्ण किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

27) उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 को यह अधिकार प्राप्त होगा कि किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में मध्यस्थता उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 के प्रबन्ध निदेशक स्वयं अथवा निगम के किसी प्रतिनिधि

को मध्यस्थता हेतु नियुक्त कर सकता है। इस प्रक्रिया में अन्तिम निर्णय प्रबन्ध निदेशक का होगा, जो सभी पक्षो पर बाध्यकारी होगा।

28) यदि कोई फर्म किन्ही कारणों से उ0प्र0 पुलिस आवास निगम द्वारा ब्लैक लिस्ट की जाती है तो उस फर्म का स्वामी या पार्टनर किसी अन्य फर्म का पार्टनर या स्वामी है तो वह फर्म भी ब्लैकलिस्ट स्वतः हो जायेगी।

29) बी0ई0/बी0टेक(सिविल) एवं समकक्ष डिग्रीधारकों का पंजीकरण बिना किसी अनुभव के "सी" श्रेणी में किया जा सकता है।

30) विद्युतीकरण के कार्यो हेतु निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत "क" श्रेणी अनुमोदित लाईसेन्स संलग्न करना होगा।

31) एक व्यक्ति एक ही फर्म में प्रोपराइटर अथवा साझीदार हो सकता है।

32) राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता ठेकेदार के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु पात्र नहीं है। कार्य का अनुबन्ध गठित होने के बाद भी यदि उक्त तथ्य संज्ञान में आता है तो समाधान एवं संतुष्टि की दशा में ऐसे पंजीकरण/अनुबंध को प्रबन्ध निदेशक अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

33) ऐसे व्यक्ति/फर्म/कम्पनी जो किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड की श्रेणी में आते है, को भी कोई ठेका स्वीकृत नही किया जायेगा। इस श्रेणी के आवेदक पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु पात्र नही है। आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा।

34) किसी भी ठेकेदार को ठेका दे दिये जाने के बाद भी यदि कोई तथ्य प्रमाणित होता है कि संबंधित ठेकेदार/फर्म/कम्पनी द्वारा अन्य सम्भावित निविदाकर्ताओं को धमकाया गया है अथवा उन्हें प्रक्रिया में भाग लेने एवं टेण्डर डालने से रोका गया है अथवा यह पाया जाता है कि संबंधित ठेकेदार/व्यक्ति सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असमाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो जिलाधिकारी अथवा पुलिस से जॉच रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध या ठेका निरस्त कर दिया जायेगा परन्तु निरस्तीकरण से पूर्व उसे कारण बताओं नोटिस अवश्य दी जायेगी।

35) उक्त नियम व शर्तो के अर्न्तगत किसी भी विवाद के निस्तारण का क्षेत्राधिकार लखनऊ स्थित न्यायालय का होगा।

36) समय-2 पर लागू नियम एवं र्ते आपको मान्य होगी।

37) पंजीकरण की वैद्यता तिथि समापत होने से पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन ही मान्य होगा। वैधता तिथि समाप्ति के उपरांत किये गये नवीनीकरण आवेदन पर विचार नही किया जायेगा तथा इस स्थिति में नवीन पंजीकरण किया जाना होगा।

38) दो या अधिक साझेदारी वाली फर्म 1 कम्पनी के नाम से पंजीकरण कराते समय फर्म/कम्पनी के नाम का हैसियत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

परिशिष्ट संख्या-1

प्रत्येक श्रेणी के निर्माण कार्यो पर निम्नानुसार तकनीकी स्टाफ रखना होगा। (10/- रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित

श्रेणी	("ए" प्लस एवं "ए")	श्रेणी ("बी")	श्रेणी ("सी")	श्रेणी ("डी")	श्रेणी ("ई")
एक	ग्रेजुएट सिविल इंजीनियरिंग	-	-	-	-
एक	डिप्लोमाहोल्डर सिविल इंजीनियरिंग	एक डिप्लोमाहोल्डर सिविल इंजीनियरिंग	-	-	-

परिशिष्ट संख्या-2

निर्माण कार्यो पर विभिन्न मशीनरी आदि की सूची:- (10/- रूपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित

क्रमांक	मशीनरी का नाम	श्रेणी		
		"ए" प्लस एवं "ए"	"बी"	"सी"
1	कंकरीट मिक्सर	2	1	1
2	वाइब्रेटरर्स	3	2	1
3	पम्पस्	2	1	1
4	डीजल विनचिस 65 टन क्षमता का	2	1	-
	एक्सकेवेटर-कम-लोडर, 1/2 से 1 मी^{3} की क्षमता वाले (सेतु के लिये)	4	2	-
5	डीजल जनरेटर सैट 25कि0वाट (सेतु के लिये)	1	-	-
6	ट्रैक्टर -ट्राली	1	-	-
7	रोड रोलर केवल सड़क के लिए	2	-	-
8	थ्योडोलाइट	1	1	-
9	लेवलिंग मशीन स्टाफ सहित	2	1	-
10	बिटुमिन बॉयलर विद स्प्रेयर (केवल सड़क के लिये)	1	-	-

परिशिष्ट संख्या-3

सिविल कार्यों हेतु क्षमता, पंजीकरण शुल्क, नवीनीकरण शुल्क एवं हैसियत

श्रेणी	कार्य प्राप्त करने की क्षमता (रू० में)	पंजीकरण शुल्क नान रिफंडेबल (रू० में)	नवीनीकरण शुल्क नान रिफंडेबल (रू० में)	हैसियत प्रमाण-पत्र (रू० में)
"ए" प्लस	कोई सीमा नही	1,00,000/- +GST	20,000/- +GST	60.00 लाख
"ए"	5.00 करोड़ तक	75000/- +GST	10,000/- +GST	40.00 लाख
"बी"	2.00 करोड़ तक	50000/- +GST	5,000/- +GST	12.50 लाख
"सी"	50.00 लाख तक	25000/- +GST	3,000/- +GST	5.00 लाख
"डी"	25.00 लाख तक	15000/- +GST	1500/- +GST	2.50 लाख
"ई"	10.00 लाख तक	10,000/- +GST	800/- +GST	0.65 लाख

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट.....परिशिष्ट संख्या-4

हैसियत प्रमाण पत्र

1. प्रार्थी का नाम (व्यक्ति/फर्म/संस्था का नाम).....
2. पिता/पति का नाम श्री.....
3. निवास स्थान
   (अ) स्थायी पता दूरभाष सहित.....
   .....
   (ब) अस्थायी पता दूरभाष सहित.....
   .....
4. व्यवसाय .....
5. **सम्पत्ति का विवरण :-** जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के द्वारा चल/अचल सम्पत्ति/हैसियत के सम्बन्ध में पूरा विवरण निम्न प्रकार से दिया जाये।

   (अ) अचल सम्पत्ति- जमीन/भूखण्ड/मकान/दुकान/व्यवसायिक प्रतिष्ठान/उद्योग धंधे आदि का पूरा विवरण। यह सम्पत्ति ठेकेदार के नाम है अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से है, इसका स्पष्ट उल्लेख किया जायें। सम्पत्ति का मूल्यांकन/बाजार मूल्य कितना है। यह सम्पत्ति बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था में माडर्गेज हो तो उसका विवरण दिया जाये।

   (ब) चल सम्पत्ति- मोटर वाहन/निर्माण कार्यो में प्रयुक्त मशीनों तथा अन्य चल सम्पत्ति का पूरा विवरण दिया जाये। यह सम्पत्ति ठेकेदार के नाम है अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से है, इसका स्पष्ट उल्लेख किया जायें। इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र निर्गत किया जाये। सम्पत्ति का मूल्यांकन/बाजार मूल्य कितना है। यह सम्पत्ति बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था में माडर्गेज हो तो उसका विवरण दिया जाये।
6. बैंक अथवा वित्तीय संस्था में कोई धनराशि हो तो इसके लिये बैंक का नाम/खाता एवं उसमें रखी धनराशि का विवरण दिया जाये। इसके लिये बैंक अथवा वित्तीय संस्था द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाये।
7. हैसियत प्रमाण-पत्र के लिये हैसियत के रूप में यदि बैक में जमा धनराशि दर्शायी जाती है तो वह धनराशि कम से कम तीन माह पहले से बैंक में जमा होनी चाहिये और कार्य पूरा होने तक बैंक में अवश्य जता रहनी चाहिए।
8. प्रार्थी का पैन नम्बर.....है।

मेरे द्वारा श्री..... की चल और अचल सम्पत्ति के बारे में तथ्यो की जानकारी ली गयी है और उसका विवरण उपरोक्तानुसार दिया गया है।

मै प्रमाणित करता हूँ कि मेरी जानकारी में उपरोक्त सभी तथ्य सही है और तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर यह प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा रहा है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर
जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर
(मुहर सहित)

नोट :-

1 जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर द्वारा यह प्रमाण-पत्र अपने स्वयं के हस्ताक्षर से निर्गत किया जायेगा। उसके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र निर्गत नही किया जायेगा।

2. प्रमाण-पत्र देने के पूर्व वह आवश्यकतानुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/तहसीलदार/एस0डी0एम0/अपर जिलाधिकारी अथवा किसी अन्य अधिकारी से जॉच कराकर रिर्पोट प्राप्त कर सकते है।

3. सम्बन्धित व्यक्ति से स्वद्योषणा शपथ-पत्र भी ले सकता है।

4. यह प्रमाण-पत्र सामान्यतः दो वर्ष के लिये मान्य होगा। यदि इससे पूर्व कोई अपराधिक घटना होती है अथवा प्रार्थी के विरूद्ध कोई अपराधिक मुकदमा आदि दर्ज होता है या वह किसी संगठित अपराध में या माफिया गतिविधियों में पकड़ा जाता है तो पुलिस विभाग का यह उत्तरदायित्व होगा कि इसकी सूचना वह जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर तथा सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को देगा और प्रमाण-पत्र तत्काल निरस्त किया जायेगा।

5. इन प्रमाण पत्रों की प्रविष्टि जिलाधिकारी कार्यालय में तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक अलग रजिस्टर में विधिवत अंकित की जायेगी और निर्गत प्रमाण-पत्र की एक प्रमाणित फोटो प्रतिरजिस्टर में अवश्य रखी जायेगी।

6. इस प्रमाण-पत्र के निर्गत करने अथवा निरस्त करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर का होगा।

7. निर्गत प्रमाण-पत्र की एक कार्यालय प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अवश्य रखी जायेगी और एक अलग रजिस्टर में प्रविष्टि अंकित की जायेगी, जिससे रिकार्ड रहे।

8. सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा पासपोर्ट साइज का अपना नवीनतम फोटोग्राफ, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, हैसियत प्रमाण-पत्र के ऊपर निर्धारित स्थान पर चस्पा किया जायेगा।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट.....परिशिष्ट संख्या-5

चरित्र प्रमाण पत्र

1. प्रार्थी का नाम श्री/श्रीमती.....
2. पिता/पति का नाम श्री.....
3. आयु.....
4. शैक्षिक योग्यता.....
5. व्यवसाय.....
6. पता (अ) स्थायी पता दूरभाष सहित.....
   .....
   (ब) अस्थायी पता दूरभाष सहित.....
   .....
7. अपराधिक मुकदमों का विवरण.....
   (व्यक्ति के विरूद्ध जनपद में दर्ज मुकदमों, अपराधिक गतिविधियों और असमाजिक कार्यो का विवरण दिया जाये। यदि किसी न्यायालय में अपराधिक मुकदमा चल रहा है तो उसका विवरण भी दिया जाये। यदि लोक निर्माण विभाग अथवा राज्य सरकार के अन्य विभागों द्वारा ब्लैकलिस्टड किया गया हो तो उसका विवरण भी दिया जाये। माफिया/गैंगस्टर गतिविधियों एवं संगठित अपराधों में लिप्त व्यक्तियों के बारे में विशेष रूप से जॉच करने के बाद ही प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाये और इसका उल्लेख इस कालम में अवश्य किया जाये।
8. सामान्य ख्याति.....
9. प्रमाण-पत्रः-

   मेरे द्वारा श्री..... के कार्य और आचरण तथा चरित्र के सम्बन्ध में पूरी तथ्यात्मक जानकारी कर ली गई है। इनके विरूद्ध अपराधिक मुकदमों की सूचना भी पुलिस से प्राप्त की गई है। सभी तथ्यों की जानकारी के पश्चात् मै प्रमाणित करता हूँ कि श्री..... का कार्य और आचरण तथा चरित्र उत्तम है और इनके उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लि0 में अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग में ठेकेदारी का कार्य करने पर सामान्यतः आपत्ति प्रतीत नही होती है।

दिनांक .....

हस्ताक्षर
जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर
(मुहर सहित)

नोट :-

1 जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर द्वारा यह प्रमाण-पत्र अपने स्वयं के हस्ताक्षर से निर्गत किया जायेगा। उसके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र निर्गत नही किया जायेगा।

2. प्रमाण-पत्र देने के पूर्व वह आवश्यकतानुसार तहसीलदार/एस0डी0एम0/अपर जिलाधिकारी/बैंक अधिकारी अथवा किसी अन्य अधिकारी से जॉच कराकर रिर्पोट प्राप्त कर सकते है।

3. सम्बन्धित व्यक्ति से स्वद्योषणा शपथ-पत्र भी ले सकता है।

4. यह प्रमाण-पत्र सामान्यतः दो वर्ष के लिये मान्य होगा। यदि इससे पूर्व कोई महत्वपूर्ण विक्रय आदि होता है अथवा सम्पत्ति में परिवर्तन होता है या कमी आती है तो सम्बन्धित व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व होगा कि इसकी सूचना वह जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर तथा सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को देगा और प्रमाण-पत्र में संशोधन जारी किया जायेगा।

5. इन प्रमाण पत्रों की प्रविष्टि जिलाधिकारी कार्यालय में एक अलग रजिस्टर में विधिवत अंकित की जायेगी और निर्गत प्रमाण- पत्र की एक प्रमाणित फोटो प्रतिरजिस्टर में अवश्य रखी जायेगी।

6. इस प्रमाण-पत्र के निर्गत करने अथवा निरस्त करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर का होगा।

7. सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा पासपोर्ट साइज का अपना नवीनतम फोटोग्राफ, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, हैसियत प्रमाण-पत्र के ऊपर निर्धारित स्थान पर चस्पा किया जायेगा।

प्रमाण-पत्र (शपथ-पत्र रू0 10/- के स्टैम्प पेपर पर)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा उपलब्ध करायीं गयी समस्त सूचनायें एवं अभिलेख सत्य एवं प्रमाणिक है। कोई भी सूचना एवं अभिलेख असत्य पाये जाने की स्थिति में मेरा पंजीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं पंजीकरण धनराशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

(आवेदक के हस्ताक्षर)